रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 21, 1995/कार्तिक 30, 1917
NO. 484] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21, 1995/KARTIKA 30, 1917

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1995

सा.का.नि. 759(अ) :—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (दूसरा संशोधन) नियम, 1995 है ;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 में नियम 4 के उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(6) अशासकीय सदस्य, सभी रेलगाड़ियों (जिसमें राजधानी एक्सप्रेस भी सम्मिलित है) में पहले दर्जा या दूसरे वातानुकूलित दर्जा से आने-जाने के लिए रेल किराया या वास्तविक यात्रा का प्रकार इसमें से जो भी कम हो, के लिए हकदार होंगे। बाहर के अशासकीय सदस्य, केंद्रीय परिषद् या किसी कार्यकारी ग्रुप की बैठक में उपस्थित होने के लिए एक सौ रुपए प्रति दिन के दैनिक भत्ते के हकदार होंगे। नगर के वर्गीकरण को दृष्टि में लाए बिना 75.00 रुपए प्रतिदिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए स्थानीय अशासकीय सदस्यों को वास्तविक सवारी किराया प्रभार संदत्त किया जाएगा। संसद सदस्य, ऐसी दरों पर, दैनिक भत्तों पर यात्रा करने के लिए हकदार होंगे, जो ऐसे सदस्यों को अनुज्ञेय है।"

[फा.सं. 9/13/94—सी.पी.यू.]
कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार

टिप्पणी : —मूल नियम, सा.का.नि. 398(अ) दिनांक 15 अप्रैल, 1987 द्वारा अधिसूचित किए गए थे, जिन्हें सा.का.नि. 533(अ) दिनांक 14-8-1991 और सा.का.नि. 800(अ) दिनांक 30-12-1993 और सा.का.नि. 608(अ) दिनांक 30-8-95 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs and Public Distribution System)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 1995

G.S.R. 759 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Consumer Protection Rules, 1987, namely:—

(1) These rules may be called the Consumer Protection (Second Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Consumer Protection Rules, 1987, for sub-rule (6) of rule 4, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(6) The non-official members shall be entitled to first class or second Air-Conditioned by all trains (including Rajdhani Express) to and fro Railway fare or actual mode of travel whichever is less. Outstation non-official members shall be entitled to a daily allowance of one hundred rupees per day for attending the meetings of the Central Council or any working group. Local non-official members shall be paid actual conveyance, hire charges subject to a ceiling of Rs. 75.00 per day irrespective of the classification of the city. Members of Parliament shall be entitled to travelling and daily allowances at such rates as are admissible to such members."

[File No. 9/13/94-CPU]

KAMAL KISHORE, Economic Adviser

Foot Note: The principal rules were published vide GSR 398(E), dated 15-4-1987 and subsequently amended by GSR 533(E), dated 14-8-1991, GSR 800 (E), dated 30-12-1993, and GSR 605 (E), dated 30-8-1995.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995